न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट),
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-द्वितीय, चन्दौली।

फौजदारी मुकदमा सँख्या- 105 सन् 2020

राज्य उत्तर प्रदेश प्रति राजकुमार यादव उर्फ मुटुन बिहारी एवं अन्य

मु.अ.सं.-82/2019
धारा-3(1)उ.प्र.गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप नि.अधि. 1986
थाना-धानापुर, जिला-चन्दौली।

<u>आरोप</u>

मैं, योगेश दुबे, विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय, चन्दौली आप अभियुक्तगण :-

विशाल यादव, संदीप यादव उर्फ गोलू यादव एवं राज कुमार यादव उर्फ मुटुन बिहारी यादव को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूँ :-

यह कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7/86 के प्रवर्तन के उपरान्त अधिनियम की धारा-2(ख)के अन्तर्गत एक गिरोह बनाया है तथा अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए आप लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 व 22 के अंतर्गत अपराध कारित करते हैं तथा इसी क्रम में आप अभियुक्तगण उपरोक्त ने गैंगचार्ट मे प्रदर्शित निम्न्लिखित अपराध कारित किये हैं :-

1. मु.अ.सं. 24/2019, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307 504, भारतीय दण्ड संहिता एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट ऐक्ट।

इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि आप लोगो का विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनाँक-16.08.2021 ई.

(योगेश दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)
चन्दौली।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की माँग किया।

दिनाँक-16.08.2021 ई.

(योगेश दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)
चन्दौली।